

43



**IN THE BOARD OF RVENUE MADHYA PRADESH**

**AT GWALIOR**

श्री. सुधीर कोशीवाल द्वारा  
आज दि. 20-11-17 को  
स्तुत

गुलफ  
क्लक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
20-11-17

II/गिरानी/टीकमगढ़/भू.सं/2017/4570  
Case No. \_\_\_\_\_ / 2010 Revision.

CA. 5-12-17  
APPLICANT

Motilal s/o Sukhlal Kori

Aged: 50 years,

R/o 703, Tansen Nagar, District

Gwalior. (M.P.)

**VERSUS**

**RESPONDENT**

Tilule s/o Basante Kori

R/o Patharam Tehsil Niwadi District-

Tikamgarh (M.P.)

**Revision under section 50 of the Land Revenue Code against the order dated 18.07.2017 Passed by Sub Divisional Officer Niwadi Distt. Tikagarh (M.P) in Case no.317/Appeal/2015-16.**


The applicant named above respectfully begs to submit as under: -

1. That applicant filed a revision before Sub Divisional Officer Niwadi Distt. Tikagarh (M.P) against the resolution dated 04-10-2006 whereby entry made in mutation Panji no.41 by Gram Panchayat Ubor. Applicant also submitted an application under section 5 of the Limitation Act along with affidavit and mentioned that, against the resolution dated 04-10-

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भूरा./2017/4570

जिला – टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.12.2017	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप के. श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन अस्वीकार करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम स्वरूप का होकर अंतिम आदेश है जो अपीलीय है। अनुविभागीय अधिकारी के कआदेश के विरुद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः न्यायहित में प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	

3